an>

Title: Need to provide adequate compensation and cultivable land to farmers displaced due to Nauradehi Tiger Sanctuary in Damoh Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र दमोह में नौरादेवी अभ्यारण है, जिसको चीता प्रोजेक्ट के नाम पर मध्य प्रदेश में पहली बार स्थापित करने का सरकार का इरादा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय से सिर्फ तीन बातें कहना चाहता हूँ कि जो भूमि अधिग्रहण कानून भारत सरकार ने पास किया है, उसमें मुआवजे के समय उसका अनुपालन हो। मेरे यहां से 23 गांव उठाए जा रहे हैं, जिसमें से तीन गांव अभी उठे हैं जो कि कुशियारी, रमपुरा और चक्कीपला हैं। इसमें 407 परिवार वहां से विस्थापित हुए हैं। महोदय, 15 हज़ार हैक्टेयर की खेती की जमीन और 23 गांव उसमें जाने वाले हैं। उनकी जमीन के बदले जमीन देने का जो प्रावधान है, उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है। मुआवजा देने भर से काम नहीं चलता है। वैसे भी वह बहुत ही पिछड़े जिले का क्षेत्र है। यह नौरादेवी अभ्यारण दो जिलों सागर और दमोद में आता है। मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि सरकार ने जो नीति बनाई है, किसान का पूरा परिवार जो पीढ़ियों से वहां रह रहा है, जब वहां से विस्थापित होता है, अगर उसको जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगी तो उनके साथ अन्याय है। पास का नरसिंहपुर जिला है, जहां पर उससे दस गुना मंहगी जमीन है। पूरा मुआवजा देने के बावजूद भी उनको एक चौथाई जमीन भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है, उसका पालन हो और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए पहले प्रबंध किया जाए। जो बाकी जगहों पर विस्थापितों की स्थति होती है, कहीं ऐसी दुर्दशा उनके साथ न हो। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वहां पर एक रास्ता निकल रहा था उसको परमिशन दी है। ये गांव जो उठ रहे हैं, उनके पास भी जो रास्ता निकलता है, उनको अगर परमिट करेंगे और रीहैबिलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि यह उनके साथ न्याय होगा। किसान के इस दर्द पर सरकार को विचार करना चाहिए। धन्यवाद।